न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023
सी0एन0आर कमांक–BRSP01-002938-20

FORM A

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SHEIKHPURA

DISTRICT- SHEIKHPURA,(BIHAR)

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला–शेखपुरा,(बिहार)

पीठासीन न्यायाधीश – संतोष कुमार तिवारी

निर्णय की तिथि– 04–04–2026

सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023

सी0एन0आर कमांक– BRSP01-003787-2023

(थाना शेखपुरा के अपराध कमांक 257/21 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांक 13.05.2022 से उत्पन्न मामला)

अभियोजक	बिहार राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उदय नारायण सिन्हा, लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्तगण का नाम	1. धर्मशीला देवी, पति–गणेश यादव, उम्र–49 वर्ष 2. वरूण यादव, वल्द–भागवानी यादव, उम्र–49 3. गणेश यादव, वल्द–भागवानी यादव, उम्र–45 4. फैशन यादव, वल्द–धनीक यादव, उम्र–28 5. गीता देवी, पति–धनीक यादव, उम्र–40 6. सुनीता देवी, पति–रामबरन यादव, उम्र–50 7. राजीव कुमार, वल्द–शिवजी यादव, उम्र–25 8. शिवजी यादव, वल्द–भागवानी यादव, उम्र–48 9. धनीक यादव, वल्द–भागवानी यादव, उम्र–50 10. दिनेश कुमार, वल्द–गणेश यादव, उम्र–26 11. रंजन कुमार, वल्द–गणेश यादव,उम्र–25 सभी सा0–बरूई, थाना–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री रणविजय कुमार और श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह।

FORM B

घटना की तिथि	11.05.2021
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	11.05.2021
आरोप पत्र की तिथि	24.02.2021
आरोप गठन की तिथि	07.06.2024
साक्ष्य आरंभ की तिथि	20.06.2024
निर्णय निर्धारण की तिथि	30.03.2026
निर्णय की तिथि	04.04.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	––––––

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023
सी0एन0आर कमांक–BRSP01-002938-20

अभियुक्तगण का विवरणः–

कम सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	धर्मशीला देवी	09.07.2021 12.01.2022 04.05.2024	09.07.2021 12.01.2022 04.05.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**	––––	––––
2.	वरूण यादव	02.09.2021 07.06.2024	02.09.2021 07.06.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**	––––	––––
3.	गणेश यादव	02.09.2021 04.03.2024	02.09.2021 07.03.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**		
4.	फैशन यादव	02.09.2021 07.06.2024	02.09.2021 07.06.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**		
5.	गीता यादव	09.07.2021 12.01.2022 04.05.2024	09.07.2021 12.01.2022 04.05.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**		
6.	सुनीता देवी	09.07.2021 12.01.2022 04.05.2024	09.07.2021 12.01.2022 04.05.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**		
7.	राजीव कुमार	09.07.2021 12.01.2022 07.06.2024	09.07.2021 12.01.2022 07.06.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**		
8.	शिवजी यादव	09.07.2021 12.01.2022 03.02.2021	09.07.2021 12.01.2022 15.02.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**		
09.	धनीक यादव	09.07.2021 12.01.2022 04.03.2024	09.07.2021 12.01.2022 07.03.2024	धारा–147, 341 / 34, 323 / 34 , 337 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0द0सं0	**दोषमुक्त**		

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023
सी0एन0आर कमांक–BRSP01-002938-20

10.	दिनेश यादव	09.07.2021 12.01.2022 07.06.2024	09.07.2021 12.01.2022 07.06.2024	धारा–147, 341/34, 323/34 , 337/34, 307/34, 504/34, 506/34 भा0द0सं0	दोषमुक्त		
11.	रंजन कुमार	09.07.2021 12.01.2022 07.06.2024	09.07.2021 12.01.2022 07.06.2024	धारा–147, 341/34, 323/34 , 337/34, 307/34, 504/34, 506/34 भा0द0सं0	दोषमुक्त		

निर्णय

(1). अभियुक्तगण धर्मशीला देवी,वरूण यादव, गणेश यादव,फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार, शिवजी यादव, धनीक यादव, दिनेश कुमार और रंजन कुमार का धारा–147, 341/34,323/34,337/34,307/34,504/34,506/34 भा0द0सं0 के तहत अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

(2). अभियोजन का कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.05.2021 को सूचक जर्नादन राम उर्फ नाजो राम द्वारा थाना शेखपुरा में यह लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी कि दिनांक 11.05.2021 को शाम 07:30 बजे सूचक का भतिजा मुन्ना कुमार घर के पास बैठा था। सूचक के गॉव के धर्मशीला देवी,वरूण यादव, गणेश यादव,फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार, शिवजी यादव, धनीक यादव,दिनेश कुमार, रंजन कुमार, धनराज कुमार और नीतिश कुमार सभी अभियुक्तगण मिलकर अपने हाथ में लिए लाठी,डंडा, रड एवं पत्थर से मारपीट किए। रामपति राम एवं सूचक का भाई उदय राम बीच बचाव करने आया तो फैशन कुमार ने हाथ में लिए रड से मारा जिससे उदय राम का सिर फट गया जिससे खून बहने लगा और वह वही जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। गणेश यादव अपने हाथ में लिए भाला सूचक के भाई रामपति राम के सिर में भोक दिया जिससे खून बहने लगा और वह वही जमीन पर बेहोश होकर गिर गया उसे गिरते देख फैशन कुमार ने रामपति राम के गले से एक भर का चैन छिन लिया। यह देखकर जब जर्नादन राम उठाने लगा तो रामबरन यादव अपने हाथ में लिए रड से जर्नादन राम के सिर पर मारा जिससे खून बहने लगा और वह वही जमीन पर गिर गया। हल्ला सुनकर आसपास के लोग आए तो लोगों के आते देखकर अभियुक्तगण भागने लगे और उसी समय गणेश कुमार ने चुन्नू कुमार के मुँह पर पत्थर मारकर भाग गया, जिससे उसका मुँह कट गया। ग्रामीणों द्वारा सभी जख्मीयों को सदर अस्पताल शेखपुरा लाया गया, जहॉ सभी का ईलाज हुआ।

सूचक की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण धर्मशीला देवी,वरूण यादव, गणेश यादव,फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार,

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023
सी0एन0आर कमांक–BRSP01-002938-20

शिवजी यादव, धनीक यादव,दिनेश कुमार और रंजन कुमार के विरूद्ध थाना शेखपुरा के अपराध कमांक 257/2021 धारा–147,323,307,337,506,504 भा0 द0 सं0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और अन्वेषणोपरांत अन्वेषण अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147,323,307,337,506,504 भारतीय दंड संहिता के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेखपुरा जिला– शेखपुरा न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2021 को आरोप पत्र कमांक 41/2022 प्रस्तुत किया गया।

(3). उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 13.05.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण धर्मशीला देवी, वरूण यादव, गणेश यादव, फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार, शिवजी यादव, धनीक यादव,दिनेश कुमार, रंजन कुमार, धनराज कुमार और नीतिश कुमार के विरूद्ध धारा– 147,323,307,337,341,506,504 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के विचारण हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से दिनांक 13.05.2022 को पारित आदेश द्वारा मामलें को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया।

(4). अभियुक्तगण धर्मशीला देवी,वरूण यादव, गणेश यादव, फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार, शिवजी यादव, धनीक यादव, दिनेश कुमार और रंजन कुमार के विरूद्ध दिनांक 07. 06.2024 को धारा–147, **3**41/34,**3**23/34,337/34,307/34,**5**04/34,506/34 भा0 द0 स0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

(5). अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 15.01.2026 को इस सत्र विचारण के अभियुक्तगण धर्मशीला देवी,वरूण यादव, गणेश यादव, फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार, शिवजी यादव, धनीक यादव,दिनेश कुमार और रंजन कुमार का धारा 313 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखबद्ध किया गया। जिसमें सभी अभियुक्तों द्वारा उन्हें इस मामले में मिथ्या फसाने की बात कही गयी।

(6). इस प्रकार इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण धर्मशीला देवी,वरूण यादव, गणेश यादव,फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार, शिवजी यादव, धनीक यादव,दिनेश कुमार और रंजन कुमार के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023
सी0एन0आर कमांक–BRSP01-002938-20

विनिश्चय Finding

(7). इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल सात अभियोजन साक्षियों, अभियोजन साक्षी संख्या–01 डॉ0 गजेन्द्र कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–02 जनार्दन राम उर्फ नाजो राम, अभियोजन साक्षी संख्या–03 रामपति राम, अभियोजन साक्षी संख्या–04, चुन्नु कुमार अभियोजन साक्षी संख्या–05, मुन्ना कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–06, उदय राम और अभियोजन साक्षी संख्या–07, नेपाली राम का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया है, और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मुन्ना कुमार के जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श–1, रामपति राम के जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श–2, जनार्दन राम के जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श–3, उदय राम का जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श–4, चुन्नु कुमार के जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श–5, प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाना में प्रस्तुत लिखित शिकायत पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श–6, मामले के रजिस्ट्रेशन पर थानाध्यक्ष विनोद राम के हस्ताक्षर को प्रदर्श–6/1, औपचारिकी प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष विनोद राम के हस्ताक्षर को प्रदर्श–7 और आरोप पत्र पर थानाध्यक्ष विनोद राम के हस्ताक्षर को प्रदर्श–8 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

(8). अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 गजेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि I was posted on 11.05.2021 as Medical Officer at Sadar Hospital, Sheikhpura and I examined the injured Munna Kumar, S/o- Rampati Ram age about 10, At Barui PS-Sheikhpura, District-Sheikhpura on 11.05.2021 at 08:15 PM bearing registration no. 1216/E and found the following external finding.

Abrasion measuring about 1” X 1” on occipital region of scalp.
Abrasion measuring about 1” x 1/2” on right feet of deep toe.
Type of injury- simple in nature.
Age of injury- within two hours caused by hard and blunt object.

उक्त जख्म प्रतिवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में जिसे पहचानता हूँ इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है।

on the same day, I examined the injured Rampati Ram S/o- Ayodhya Ram age about 37, At Barui PS-Sheikhpura, District-Sheikhpura on 11.05.2021 at 07:15 PM bearing registration no. 1215/E and found the following external finding.

M/I- cut scar on left fore arm.
Lacerated wound measuring about 3” X 1”x1” on frontal area of middle scalp.
Lacerated wound measuring about 2” x 1”x1” on frontal area of scalp
Type of injury- simple in nature.
Age of injury- within two hours caused by hard and blunt object.

उक्त जख्म प्रतिवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में जिसे पहचानता हूँ इसे प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है।

on the same day, I examined the injured Janaradan Ram S/o- Ayodhya Ram age about 48, At Barui PS-Sheikhpura, District-Sheikhpura on 11.05.2021 at 07:15 PM bearing registration no. 1213/E and found the following external finding.

M/I- cut wound scar on left fore arm.
cut injury measuring about 1" X 1/4"x1/4" on frontal area of scalp.
Contusion measuring about 3" x 1/4" on right shoulder
Type of injury- simple in nature.
Age of injury- within two hours caused by hard and blunt object.

उक्त जख्म प्रतिवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में जिसे पहचानता हूँ इसे प्रदर्श–3 अंकित किया जाता है।

on the same day, I examined the injured Uday Ram S/o- Ayodhya Ram age about 34, At Barui PS-Sheikhpura, District-Sheikhpura on 11.05.2021 at 07:15 PM bearing registration no. 1214/E and found the following external finding.
M/I- old wound scar on right hand.
Lacerated wound measuring about 1" X 1"x1/2" on top of occipital area of scalp
Type of injury- simple in nature.
Age of injury- within two hours caused by hard and blunt object.
उक्त जख्म प्रतिवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में जिसे पहचानता हूँ इसे प्रदर्श–4 अंकित किया जाता है

on the same day, I examined the injured Chunna Kumar S/o- Janaradan Ram age about 16 At Barui PS-Sheikhpura, District-Sheikhpura on 11.05.2021 at 07:15 PM bearing registration no. 1212/E and found the following external finding.
M/I- old wound scar on right foot.
cut wound measuring about 1" X 1/2"x1/2" on left side of lip
Abrasion measuring about 1" x 1" on left lower lip.
small abrasion on left cheek .
Type of injury- simple in nature.
Age of injury- within two hours caused by hard and blunt object.
उक्त जख्म प्रतिवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में जिसे पहचानता हूँ इसे प्रदर्श–5 अंकित किया जाता ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि कुल पॉच जख्मियों का जख्म परीक्षण किया था, सभी जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का था। सभी जख्मियों के जख्म गिरने या ठेस लगने पर भी हो सकता है।

(9). अभियोजन साक्षी संख्या–02, जनार्दन राम उर्फ नाजो राम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस का सूचक हूँ। साल 2021 की घटना है, दिन तारीख याद नहीं है। शाम के सात बजे का समय था। उस समय मै अपने घर पर था, गणेश यादव, धनिक यादव, ब्रहम यादव, और ब्रहम यादव का बेटा एवं अन्य लोग आये । कुल आठ आदमी आये और मेरे और मेरे भाईयों के साथ मारपीट किया। मैं, रामपति राम, उदय राम और चुन्नु कुमार मारपीट में जख्मी हो गये, हम चारों का इलाज हुआ। इस घटना की लिखित शिकायत थाना में दिया, यही वह लिखित आवेदन है, जो मेरे लिखावट व हस्ताक्षर में है, इसे पहचानते हैं, प्रदर्श–6 अंकित किया जाता है। मैं सभी अभियुक्तों को पहचानता हॅ, आज न्यायालय में कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मुदालयों ने मेरे विरूद्ध मुकदमा किया था, दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गया। मुदालय ने अपने मुकदमें में मेरे साथ सुलह कर लिया है। क्या घटना हुई, मुझे याद नहीं है। आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।

(10). अभियोजन साक्षी संख्या–03, रामपति राम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि यह घटना दिनांक 11.05.2021 कि समय 5:30 बजे सुबह कि है। उस समय मै घर पर बैठा हुआ था उसी समय मेरे गॉव के रंजन कुमार, दिनेश कुमार, पिंटु कुमार, अधिक यादव, फैशन कुमार, गीता देवी, शिवाजी यादव एवं अन्य अभियुक्त लोग आये और जनार्दन राम को गाली–गलौज किये और गाली–गलौज देने से मना किये तो मारपीट करने लगे उसमे जनार्दन राम, मुन्ना कुमार ,उदय राम, रामपति राम घायल हो गये जिसका इलाज सदर अस्पताल शेखपुरा मे कराया गया। मैं सभी अभियुक्तगण को पहचानता हूॅ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि हम दोनों पक्षों मे समझौता हो गया है। और मेरे साथ कोई मारपीट नही किया है और चोट गिरने से लगी थी। क्या घटना हुई, मुझे कोई जानकारी नही है। इस केस को समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नही है। समझौता हो जाने के कारण मै इस केस को अब आगे नही चलाना चाहता हूॅ।

(11). अभियोजन साक्षी संख्या–04, चुन्नु कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि यह घटना दिनांक 11.05.2021 कि समय 5:30 बजे सुबह कि है। उस समय मैं घर पर बैठा हुआ था उसी समय मेरे गॉव के रंजन कुमार, दिनेश कुमार, पिंटु कुमार, अधिक यादव, फैशन कुमार, गीता देवी, शिवाजी यादव एवं अन्य अभियुक्त लोग आये और जनार्दन राम को गाली–गलौज किये और गाली–गलौज देने से मना किये तो मारपीट करने लगे उसमें जनार्दन राम, मुन्ना कुमार ,उदय राम और रामपति राम घायल हो गये जिसका इलाज सदर अस्पताल शेखपुरा में कराया गया। मैं सभी अभियुक्तगण को पहचानता हूॅ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि हम दोनों पक्षो में समझौता हो गया है और मेरे साथ कोई मारपीट नहीं किया है और चोट गिरने से लगी थी। क्या घटना हुई , मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस केस को समाप्त कर दिया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नही है। समझौता हो जाने के कारण मैं इस केस को अब आगे नही चलाना चाहता हूॅ।

(12). अभियोजन साक्षी संख्या–05, मुन्ना कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि जनार्दन राम मेरे चाचा है। जनार्दन राम का विवाद दिनेश कुमार, एवं रंजन कुमार के साथ आज से करीब चार साल पहले हुआ था। शाम के छह बजे का समय था। धक्का मुक्की में मैं, चुन्नु कुमार, रामपति राम, तथा जनार्दन राम, एवं उदय राम जख्मी हुए थे। इस घटना की

लिखित शिकायत जनार्दन राम ने थाना में दिया था। मैं इस केस के सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ, आज न्यायालय में कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मुदालयगण मेरे गॉव का है, इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूँ। गिरने से मुझे हल्की चोट आयी थी। किसी ने मारपीट नहीं किया था। अभियुक्तों से सुलह समझौता हो गया है, आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहता हूँ।

(13). अभियोजन साक्षी संख्या–06 उदय राम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि आज से करीब चार साल पहले चार बजे संध्या की घटना है, उस समय मै घर पर था। मुन्ना कुमार का रंजन कुमार एवं दिनेश कुमार वगैरह के साथ विवाद हुआ था, उसी में मुझे रामपति राम, जनार्दन राम, चुन्नु कुमार और मुन्ना कुमार को चोटें आयी थी, हम सभी जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल शेखपुरा में हुआ। विवाद बच्चे–बच्चे के विवाद को लेकर हुआ था। मैं इस केस के सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ, आज न्यायालय में कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूँ। गिरने से मुझे हल्की चोट आयी थी। किसी ने मारपीट नहीं किया था। अभियुक्तों से सुलह–समझौता हो गया है, आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहता हूँ।

(14). अभियोजन साक्षी संख्या–07, नेपाली सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 11.05.2021 को मैं शेखपुरा थाना में स0 अ0 नि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थानाध्यक्ष बिनोद राम शेखपुरा थाना द्वारा मुझे शेखपुरा थाना कांड सं0 257 / 2021 दिनांक 11.05.2021 का अनुसंधान का भार दिया गया, उक्त केस का जनार्दन राम द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर केस दर्ज किया गया। जिसका रजिस्ट्रेशन बिनोद राम तत्कालिक थानाध्यक्ष शेखपुरा द्वारा किया गया, उक्त रजिस्ट्रेशन तत्कालीक थानाध्यक्ष बिनोद राम लिखावट व हस्ताक्षर में है, इसे मैं पहचानता हूँ, इसे **प्रदर्श–6/1** अंकित किया जाता है। उक्त कांड का औपचारिक प्राथमिकी तत्कालीक शेखपुरा थानाध्यक्ष बिनोद राम के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ इसे **प्रदर्श– 7** अंकित किया जाता है। प्राथमिकी का अवलोकन कर केस दैनिकी में अंकित किया। उसके बाद वादी का पुनर्बयान लिये, उसके बाद घटनास्थल के लिए थाना से प्रस्थान किया और घटनास्थल पर पहुँचा और निरीक्षण किया। उक्त कांड क घटनास्थल शेखपुरा थाना से पांच किलोमीटर पूरब में स्थित है, जहां अयोध्या राम का पुत्र उदय राम के घर के बगल में छत के उपर से रंजन यादव ने जूठा गिरा दिया तब उदय राम ने कहा कि तुम हमारे उपर झूठा क्यों गिरा दिया, इसी में दोनों में विवाद होने लगा घर आया तो मुन्ना

कुमार घर के बगल में बैठा था, उसी के रंजीश में आकर रंजन कुमार आये और अन्य लोग भी आकर मारपीट व गाली गलौज किया, मारपीट का कारण बच्चे बच्चे में हुआ था, जो बच्चे की लड़ाई में मारपीट किया है। इसकी चौहदी निम्न है– पूरब से दक्षिण की ओर आने जाने वाला पी0 सी0 सी0 रोड, के पूरब में गेंधारी यादव का जमीन है, पश्चिम में पी0 सी0 सी0 रोड है, के बगल में सरकारी तालाब है, उत्तर में पी0 सी0 सी0 ग्रामीण रोड है, दक्षिण में पी0 सी0 सी0 ग्रामीण रोड है । इसके बाद साक्षी बली राम, रानी देवी, संतोष राम, सन्नी कुमार का बयान अंकित किया। जख्मी मुन्ना कुमार, रामपति राम, जनार्दन राम, उदय राम, एवं चुन्ना कुमार का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त कर केस दैनिकी में अंकित किया। पुलिस निरीक्षक महोदय का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त हुआ, इसे केस दैनिकी में अंकित किया। पुलिस निरीक्षक महोदय का अंतिम प्रगति प्राप्त कर केस दैनिकी में अंकित किया। अपने किये गये अनुसंधान का अवलोकन किये सभी बिंदुओं पर अनुसंधान पूर्ण पाया, तत्पश्चात् वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अभियुक्त दिनेश कुमार, रंजन कुमार, धनिक यादव, शिवाजी यादव, राजीव कुमार, सुमित्रा देवी, धर्मशीला देवी, गीता देवी, रौशन यादव, गणेश यादव, वरूण यादव, पिंटू कुमार, नीतीश कुमार और धनराज कुमार के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए धारा अंतर्गत आरोप पत्र सं0 41/2022 दिनांक 13.02.2022 धारा 147, 341, 323, 337, 307, 504, 506, भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। आरोप पत्र मेरे लिखावट व हस्ताक्षर में है, इसे पहचानता हूँ, प्रदर्श–8 अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि घटना घटित होने के आधे घंटे बाद मुझे अनुसंधान का प्रभार मिला। घटनास्थल पर चौहदीदारों का साक्ष्य मैंने लिया। मुझे याद नहीं है कि घटना में सभी जख्मियों का बयान लिया या नही। यह कहना गलत है कि मेरा अनुसंधान त्रूटिपूर्ण है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने अनुसंधान सही से नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है संपूर्ण केस डायरी में थाना पर टेबल पर ही बनाया है।

(15). उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में यह तथ्य विचारणीय है कि सभी अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए है या नहीं।

(16). विद्वान लोक अभियोजन द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क के दौरान यह निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियेजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–2 जनार्दन राम उर्फ नाजो राम जो घटना के सूचक/आहत साक्षी है अभियोजन साक्षी संख्या–3 रामपति राम, अभियोजन साक्षी संख्या–4 चुन्नु कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–5 मुन्नु कुमार और अभियोजन साक्षी संख्या–6 उदय राम जो घटना के अन्य जख्मी साक्षी है, इन सभी साक्षियों द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन किया गया है, जिसका सम्पोषण मामले के अन्वेषण अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या–7 नेपाली सिंह और चिकित्सा अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0

गजेन्द्र कुमार के साक्ष्य से हो रहा है।

उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

उपरोक्त आधारों पर अभियोजन पक्ष द्वारा विचाराधीन सभी अभियुक्तों को सभी आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

(17). बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सात साक्षियों का परीक्षण कराया गया है और उनमें से किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान अभियोजन मामले के अनुसार अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तो के विरूद्ध किसी भी अपराध को साबित करने हेतु किसी प्रकार का साक्ष्य अभिलेख पर लाने में असफल रहा है।

उपरोक्त आधार पर अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तों को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया।

(18). उभयपक्ष की तरफ से किए गए उपरोक्त तर्क/बहस के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

(19). अभियोजन की ओर से इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने हेतु कुल सात साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिसमें से अभियोजन साक्षी संख्या–1, डॉ0 गजेन्द्र कुमार चिकित्सा अधिकारी है, जिनके द्वारा आहतों के इलाज कर जख्म प्रतिवेदन तैयार किया गया है, अभियोजन साक्षी संख्या–2,जनार्दन राम उर्फ नाजो राम इस मामले के सूचक/आहत व्यक्ति है। अभियोजन साक्षी संख्या–3, रामपति राम, अभियोजन साक्षी संख्या–4, चुन्नु कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–5, मुन्ना कुमार अभियोजन साक्षी संख्या–6, उदय राम घटना के प्रत्यक्षदर्शी एवं आहत साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्या–7, नेपाली सिंह जो मामले के अन्वेषण अधिकारी है।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 गजेन्द्र कुमार इनके द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 11.05.2021 को यह साक्षी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था उक्त तिथि को इस साक्षी द्वारा घायल मुन्ना कुमार, रामपति राम, जनार्दन राम, उदय राम एवं चुन्नु कुमार का शरीरिक परीक्षण किया गया था। इन सभी आहतों के शरीर पर विभिन्न प्रकार के साधारण प्रकृति की चोटे पाया था। उक्त चोटे कडे एवं भोथरे पदार्थ से आई हुई प्रतित हो रही थी।

प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों को कोई चुनौति नहीं दी गई है और यह सुझाव दिया गया है कि सभी पॉच जख्मियों का जख्म

साधारण प्रकृति का था।

इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य एवं अभियुक्तों की तरफ से किए गए प्रतिपरीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि दिनांक 11.05.2021 को इस साक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित आहत व्यक्तियों के चोटो का परीक्षण करने पर इस साक्षी द्वाराउनके शरीर पर विभिन्न प्रकार की साधारण प्रकृति की चोटे पाई गयी थी जो कंडे एवं भोथरे पदार्थ से आई हुई प्रतित हो रही थी।

इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध अग्रिम साक्ष्य विवेचना से यह तथ्य विचारणीय है कि क्या आहतों की आई उक्त चोटे इस मामले के विचाराधीन अभियुक्तों द्वारा कारित की गयी थी। इस संबंध में अभियोजन साक्षी संख्या– 2 जर्नादन राम उर्फ नाजो राम, अभियोजन साक्षी संख्या–3 रामपति राम, अभियोजन साक्षी संख्या–4 चुन्नु कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–5 मुन्ना कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–उदय राम का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सभी साक्षीगण अभियोजन मामले के अनुसार इस घटना के आहत साक्षी है।

अभियोजन साक्षी संख्या– 2 जर्नादन राम उर्फ नाजो राम जो इस मामले का सूचक है। इसके द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना दिनांक 11.05.2021 की शाम 07:00 बजे की थी। यह साक्षी अपने घर पर था उसी समय गणेश यादव, धनिक यादव ब्रहम यादव, ब्रहम यादव का बेटा एवं अन्य कुल 8–9 लोग आए सूचक और उसके भाई के साथ मारपीट किए जिसमें इस साक्षी एवं रामपति राम, उदय राम और चुन्नु कुमार जख्मी हो गए। इस घटना की लिखित शिकायत थाने में दी गई जिस पर इस साक्षी ने अपना हस्ताक्षर किया था इस साक्षी के पहचान पर लिखित शिकायत को प्रदर्श–6 अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका–पॉच में इस साक्षी द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि क्या घटना घटित हुई थी उसे याद नहीं है। कंडिका–चार में इस साक्षी द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि इस मामले के अभियुक्तों द्वारा उसके विरूद्ध जो मुकदमा किया था दोनों पक्षों के दोनों मामलों में सुलह–समझौता हो गया है और सुलह–समझौते हो जाने के कारण यह साक्षी इस मामले को और आगे नहीं चलाना चाहता है।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 रामपति राम और अभियोजन साक्षी संख्या–4 चुन्नु कुमार इन दोनों साक्षियों द्वारा मुख्य परीक्षण में यही तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना शाम 07:30 बजे की है। उस समय ये साक्षी अपने घर पर थे। उसी समय गॉव के रंजन यादव, दिनोश कुमार, पिन्टू कुमार, अधिक यादव, फैशन कुमार, गीता देवी, शिवाजी यादव एवं अन्य अभियुक्त लोग आए और गाली–गलौज किये । गाली–गलौज करने से मना करने पर सभी अभियुक्तगण उनके साथ मारपीट किए जिसमें इन दोनों साक्षियों सहित जर्नादन राम, मुन्ना कुमार, उदय राम और चुन्नु कुमार घायल हो गए जिसका ईलाज सदर अस्पताल शेखपुरा में हुआ।

परन्तु प्रतिपरीक्षण के कंडिका–तीन में इन दोनों साक्षियों द्वारा यह तथ्य स्पष्ट किया गया

है कि क्या घटना घटित हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंडिका–2 में इन दोनों साक्षियों द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं किया गया था और गिरने के कारण उसे चोट आई थी प्रतिपरीक्षण के दौरान इन दोनों साक्षियों द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तों के साथ इन दोनों साक्षियों का सुलह–समझौता हो गया है और समझौते हो जाने के कारण वे लोग इस मुकदमा को और आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–5 मुन्ना कुमार और अभियोजन साक्षी संख्या–6 उदय राम जो इस मामले के अन्य आहत साक्षी है, इन दोनों साक्षियों द्वारा भी मुख्य परीक्षण में यही तथ्य प्रकट किया गया है कि जनार्दन राम का विवाद मुन्ना कुमार, रंजन कुमर एवं दिनेश कुमार वगैरह के साथ हुआ था, जिसमें रामपति राम, जर्नादन राम चुन्नु कुमार को चोटे आई थी जिनका ईलाज शेखपुरा में हुआ था।

परन्तु प्रतिपरीक्षण में इन दोनों साक्षियों ने कहा है कि अभियुक्तगण उनके गॉव के हैं, इसलिए इन दोनों साक्षीगण उन्हें पहचानते हैं। इन दोनों साक्षियों के साथ किसी ने मारपीट नहीं किया था। गिरने से उनको चोटे आई थी, जिनका ईलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में हुआ था।

प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों ने यह तथ्य भी प्रकट किया है कि अभियुक्तों के साथ उनका सुलह–समझौता हो गया है, जिसके कारण वह इस मुकदमा को और आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–2 जनार्दन राम, अभियोजन साक्षी संख्या–3 रामपति राम, अभियोजन साक्षी संख्या–4 चुन्नु कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–5 मुन्ना कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–6 उदय राम, जो घटना के कथित रूप से आहत/जख्मी साक्षी है, के साक्ष्य से उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि इन सभी साक्षियों द्वारा अपने परीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकट किया गया है कि अभियुक्तों ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं किया था और गिरने के कारण उन्हें चोटे आई, जिसका ईलाज सदर अस्पताल शेखपुरा में हुआ था। साथ ही अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी आहत साक्षियों द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि सभी अभियुक्तों के साथ उनका सुलह–समझौता हो गया है, इसलिए वे लोग इस मुकदमें को और आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित आहत साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा हे कि अभियुक्तगण उनके साथ मारपीट नहीं किया था गिरने के कारण उन्हें चोटे आई थी। सूचक एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 रामपति द्वारा प्रतिपरीक्षण मे ंव्यक्त किया गया है कि क्या घटना घटित हुई थी यह उन्हें याद नहीं है।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–2 जनार्दन राम उर्फ

नाजो राम, अभियोजन साक्षी संख्या–3 रामपति राम, अभियोजन साक्षी संख्या–4 चुन्नु कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–5 मुन्ना कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–6 उदय राम द्वारा प्रतिपरीक्षण में प्रकट किए गए तथ्यों से में विचाराधीन अभियुक्तों द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने के संबंध में उनके द्वारा मुख्य परीक्षण में प्रकट किए गए तथ्य संदिग्ध एवं अविश्वसनीय हो गये हैं।

ऐसी दशा में केवल चिकित्सक के साक्ष्य के आधार पर विचाराधीन अभियुक्तों को मारपीट की हुई घटना या आहतों के शरीर पर पाई गई चोटों की घटना से किसी प्रकार से नहीं जोडा जा सकता है।

यद्यपि कि चिकित्सक द्वारा घटना के दिन इन आहतों के शरीरिक जॉच करने पर इनके शरीर पर विभिन्न प्रकार की चोटे पाई गई थी, किन्तु जख्मी/आहत साक्षियों द्वारा विचारण के दौरान यह तथ्य न प्रकट किए जाने के कारण कि अभियुक्तों द्वारा उन्हें उक्त चोटे उन्हें पहुचाई गई थी, अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के संबंध में चिकित्सक साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 गजेन्द्र कुमार के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–7 नेपाली सिंह जो मामले के अन्वेषण अधिकारी है, उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष अन्वेषण के दौरान की गई कार्यवाहियों का परीक्षण किया गया है।

परन्तु वस्तुतः अन्वेषण अधिकारी एवं चिकित्सक अधिकारी का साक्ष्य सम्पोषणकारी प्रकृति का साक्ष्य होता है, जो घटना के आहत/प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के मौखिक न्यायालयीन साक्ष्य का सम्पोषण कर आहत/प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य को विश्वसनीयता प्रदान करता है।

इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए सूचक सहित सभी आहत साक्षियों द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रकट किए गए तथ्यों से विचाराधीन अभियुक्तों द्वारा मारपीट कर चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके शरीर पर पाई गई चोट कारित किए जाने के संबंध में मुख्य परीक्षण में अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रकट किए गए तथ्य संदिग्ध होकर अविश्वसनीय हो गया है। आहतों के शरीर पर पाई गई सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। कोई भी चोट प्राण घातक प्रकृति की नहीं थी और आहतों द्वारा अभियुक्तों के साथ इस मामले में आपसी सुलह–समझौता कर लिए जाने का तथ्य भी अभिलेख पर प्रमाणित है।

इस प्रकार विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के विश्लेषण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण धर्मशीला देवी, वरूण यादव, गणेश यादव, फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार, शिवजी यादव, धनीक यादव, दिनेश कुमार और रंजन कुमार के विरूद्ध धारा– 147, 341/34, 323/34, 337/34, 307/34, 504/34, 506/34 भा0द0सं0 के तहत आरोपित अपराधों में से किसी भी अपराध को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023
सी0एन0आर कमांक–BRSP01-002938-20

परिणामस्वरूप संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण धर्मशीला देवी,वरूण यादव, गणेश यादव, फैशन यादव, गीता देवी, सुनीता देवी, राजीव कुमार,शिवजी यादव, धनीक यादव,दिनेश कुमार और रंजन कुमार को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा–147, 341/34,323/34,337/34,307/34,504/34,506/34 भा0द0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सभी दोषमुक्त पूर्व से जमानत पर मुक्त है। दोषमुक्ति के परिणाम स्वरूप उनके जमानत बंध पत्र विखंडित किये जाते हैं और उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता हैं।

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 04.04.2026

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 04.04.2026

FORM-C

अभियोजन/बचाव / न्यायालय साक्षियों की सूची

ए.अभियोजन

क्रम सं0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0 सा0 सं0 1	डॉ0 गजेन्द्र कुमार	विशेषज्ञ साक्षी/ चिकित्सक साक्षी
अभि0 सा0 सं0 2	जनार्दन राम उर्फ नाजो राम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/सूचक/जख्मी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 3	रामपति राम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/जख्मी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 4	चुन्नु कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/जख्मी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 5	मुन्ना कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/जख्मी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 6	उदय राम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/जख्मी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 7	नेपाली राम	अन्वेषणकर्ता अधिकारी

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023
सी0एन0आर कमांक–BRSP01-002938-20

बी.बचाव साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

सी.न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P1/P.W1	मुन्ना कुमार का जख्म प्रतिवेदन
2.	P2/P.W1	रामपति राम का जख्म प्रतिवेदन
3.	P3/P.W1	जनार्दन राम के जख्म प्रतिवेदन
4.	P4/P.W1	उदय राम का जख्म प्रतिवेदन
5.	P5/P.W1	चुन्नु कुमार का जख्म प्रतिवेदन
6.	P6/P.W2	प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाना में प्रस्तुत लिखित शिकायत पर सूचक का हस्ताक्षर
7.	P6/1/P.W7	मामले के रजिस्ट्रेशन पर थानाध्यक्ष विनोद राम के हस्ताक्षर
8.	P7/P.W7	औपचारिकी प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष विनोद राम के हस्ताक्षर
9.	P8/P.W7	आरोप पत्र

बी. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	–	–

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-75/2023, सी0आई0एस0 – 75/2023
सी0एन0आर कमांक–BRSP01-002938-20

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

डी. वस्तु प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

लेखापित

संतोष कुमार तिवारी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
दिनांक–04.04.2026

Date of Judgment/order	04.04.2026
Date of Reserving Judgment/order	30.03.2026
Uploading Date	10.04.2026
Uploaded by	Sangeeta Kumari